सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण स. 102/2023

वाद पत्र अ.धा. 88,53 आर.टी.ए.

1. सुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति कुम्हार नि घुमारवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर पंजाब हाल आबाद मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ – वादी

बनाम्

1. जगजीवन सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति कुम्हार नि घुमारवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर पंजाब हाल आबाद मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ – प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1 श्री शिवशंकर– वकील वादी

2 श्री अनिल चोयल– वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिंनाकः– 29.5.2023

वादी सुरिन्द्रपाल ने प्रतिवादीगण के विरूध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एंव विभाजन हेतु दिंनाक 02.03.2023 को इस न्यायालय मे पेश किया कि वादी एंव प्रतिवादी स. 1 आपस मे सगे भाई है। वादी एंव प्रतिवादी स. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी के खाता स. 47/2 मे 1.265है. व चक 10 एमजेडी के खाता स. 60/33 मे 2.530है. तथा तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी के खाता स. 30/21 मे 1.646है. मय गै.मु. कृषि भूमि बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादी स. 1 ने आपस मे अच्छी मन्दी व काश्त की सुविधानुसार बटंवारा कर लिया था तथा उक्त बंटवारा के रोज से ही वादी एंव प्रतिवादी स. 1 अपने हक हिस्सा में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। वादी सं. 1 सुरिन्द्रपाल सिंह के हक हिस्सा की कृषि भूमिः– चक 5 डीएलपी खाता सं. 47/2 तहसील संगरिया के प.न. 143/186 मु.न. 2 कि.न. 5/1/.228है.,5/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/186 मु.न 3कि.न. 1/1/.228है.,1/2/.025है.,2/1/.228है., 2/2/.025है.,9,10/.253है.प्र. कुल 1.265है. मय गै. मु. कृषि भूमि एंव चक 7 डीएलपी खाता सं. 30/21 तहसील हनुमानगढ के प.न. 140/186 मु.न. 4 कि.न. 1/1/.228है.,2/1/.228है.,3/1/.228है., 4/1/.228है.,5/1/.228है.,6,7/.253है.प्र. कुल 1.646है. मय गै.मु. कृषि

लगातार–2

29/5

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ... (SDO) शिविर स्थल आरवावाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि प्रतिवादी सं. 2 जगजीवन सिंह के हक हिस्सा की कृषि भूमि:- चक 10 एमजेडी खाता सं. 60/33 तहसील संगरिया के प.नं. 143/185 मु.न. 61 कि.न.16/1/.228है.,16/2/.025है. गै.मु. रास्ता, 25/1/.228है.,25/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/185 मु.न. 62 कि.न 11ता13, 18ता22 /.253है.प्र. कुल 2.530है. मय गै.मु. कृषि भूमि वादी बंटवारा के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परन्तु मुताबिक कब्जाकाश्त उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज न होने के कारण व खाता साझां होने के कारण आपस में सीवबट को लेकर लडाई-झगडे का अन्देशा रहता हैं तथा वाटरमैन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पडता हैं तथा ऋण सुविधा प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। इस कारण वादी ने गत् सप्ताह प्रतिवादी स. 1 से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार उसें हक हिस्सा व कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार मान लेनें एवं उक्तानुसार खाता विभाजित करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादी स. 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण हैं।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिर्पोट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एंव प्रतिवादी स. 1 के मध्य दिंनाक 28.03.2023 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स. 2 व 3 की और से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमे राज्यहित को मध्यनजर रखने की इस्तदुआ की गई जो शामिल मिसल किया गया। राजीनामा पेश होने कारण तनकियात कायम नही की गई। वाद पत्र के सम्र्थन मे वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी के खाता स. 47/2, व चक 10 एमजेडी के खाता 60/33 व तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी के खाता स. 30/21 की जमाबन्दीयो की प्रमाणित प्रतिया पेश की। साक्ष्य वादी मे वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र पर कोई विरोध दर्ज नही किया गया एंव राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति जताई गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वादी वकील ने कथन किया की वादी एंव प्रतिवादी स. 1 का राजीनामा पेश हो चुका है। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि उनके वाद पत्र एंव राजीनामा का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वाद पत्र मे घोषणा एंव विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वकील वादी ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस मे वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपति दर्ज नही करवाई है।

29/5

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल आरडवाली

लगातार-3

वाद पत्र मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तहसील संगरिया के तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी के खाता स. 47/2, व चक 10 एमजेडी के खाता 60/33 व तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी के खाता स. 30/21 मे वादी व प्रतिवादी स. 1 के नाम से दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादी स. 1 का राजीनामा पेश हो चुका है वाद पत्र का कोई विरोध पत्रावली पर नही आया है इस कारण राजीनामा के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-: कियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादी राजीनामा एंव सहमति के आधार पर डिकी किया जाता है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी खाता सं. 47/2 तहसील संगरिया प.नं. 143/186 मु.नं. 2 कि.नं. 5/1/.228है.,5/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/186 मु.न. 3 कि.न. 1/1/.228है.,1/2/.025है.,2/1/.228है., 2/2/.025है ,9,10/.253है.प्र कुल 1.265है. मय गै.मु. कृषि भूमि एंव तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी खाता सं. 30/21 के प.नं. 140/186 मु.न. 4 कि.न. 1/1/.228है.,2/1/.228है.,3/1/.228है., 4/1/.228है.,5/1/.228है.,6,7/.253है.प्र कुल 1.646है. मय गै.मु. कृषि भूमि एंव प्रतिवादी स. 1 को तहसील संगरिया के चक 10 एमजेडी के खाता सं. 60/33 के प.न. 143/185 मु.न. 61 कि.न. 16/1/.228है.,16/2/.025है. गै.मु. रास्ता, 25/1/.228है.,25/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/185 मु.न. 62 कि.न. 11ता13,18ता22/.253है.प्र. कुल 2.530है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार रकमराज अलग से कायम किया जाता है एंव उक्तानुसार उक्त खातो से वादी एंव प्रतिवादी स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

नोटः- यदि डिकित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया जाकर दाखिल-दफतर हो। निर्णय आज दिंनाक 29.5.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/5/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एंव

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

शिविर स्थल संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

न्यायलय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 102/2023

सुरिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति कुम्हार नि घुमारवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर पंजाब हाल आबाद मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ-**वादी**

बनाम्

1. जगजीवन सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति कुम्हार नि घुमारवाला तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर पंजाब हाल आबाद मोरजण्डसिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ 2 तहसीलदार राजस्व संगरिया 3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ - प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबय हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार चोयल वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिकी दी जाती है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी खाता सं. 47/2 तहसील संगरिया प.नं. 143/186 मु.नं. 2 कि.नं. 5/1/.228है.,5/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/186 मु.न. 3 कि.न. 1/1/.228है.,1/2/.025है.,2/1/.228है., 2/2/.025है,9,10/.253है.प्र कुल 1.265है. मय गै.मु. कृषि भूमि एंव तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी खाता सं. 30/21 के प.नं. 140/186 मु.न. 4 कि.न.1/1/.228है.,2/1/.228है.,3/1/.228है., 4/1/.228है.,5/1/.228है.,6,7/.253है.प्र कुल 1.646है. मय गै.मु. कृषि भूमि एंव प्रतिवादी स. 1 को तहसील संगरिया के चक 10 एमजेडी के खाता सं. 60/33 के प.न. 143/185 मु.न. 61 कि.न. 16/1/.228है.,16/2/.025है. गै.मु. रास्ता, प.न. 144/185 मु.न. 62 कि.न. 11ता 25/1/.228है.,25/2/.025है. गै.मु. रास्ता प.न. 144/185 मु.न. 62 कि.न. 13,18ता22/.253है.प्र. कुल 2.530है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार रकमराज अलग से कायम किया जाता है। उक्तानुसार तहसील संगरिया के चक 5 डीएलपी के खाता स. 47/2 व तहसील हनुमानगढ के चक 7 डीएलपी के खाता स. 30/21 मे प्रतिवादी स. 1 का तथा तहसील संगरिया के चक 10 एमजेडी के खाता स. 60/33 मे वादी का नाम कलमजन किया **जावे**। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

नोटः- यदि डिकित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक **हिस्सा किया जावे**। **खर्चा मुकदमे के** निज..X.... निल...X...मुब्लिक...X...निल.....X...बाबत...X..निल....X..खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना **आज की तारीख** वसुलयाबी तक ...X... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एंव मुहर अदालत से आज दिंनाक 29.5.2023 को जारी किया गया।

29/5/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एंव

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रशासन ... के संग अभियान 2023
शिविर स्थल आरसरावाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official